समाचार

03 बड़े बकायादारों की सम्पत्ति की गई सील, जिनमें 02 बकायादारों द्वारा राशि जमा करने पर हटाई गई सीलिंग

(कर न जमा करने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर रहा है निगम, अभी सीलबंदी, बाद में होगी कुर्की की भी कार्यवाही)

कोरबा 20 मार्च 2026 – निगम को देय सम्पत्तिकर संबंधित करदाताओं द्वारा न पटाये जाने परा आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर आज 03 बड़े बकायादारों की सम्पत्तियों को निगम अमले ने सील कर दिया, जिनमें से 02 बकायादारों द्वारा तत्काल बकाया राशि जमा करा दी गई, परिणाम स्वरूप उनकी सम्पत्तियों को सीलिंग से मुक्त कर दिया गया, वहीं 01 बकायादार की सम्पत्ति अभी भी सील है।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा ऐसे बड़े बकायादारों जिनके द्वारा निगम को देय बकाया करों के भुगतान किए जाने में रूचि नहीं ली जा रही है तथा बार–बार वारंट, नोटिस दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा बकाया करों की राशि निगम में जमा नहीं कराई जा रही, ऐसे बकायादारों के विरूद्ध निगम कड़ी कार्यवाही कर रहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा सम्पत्तिकर, समेकित कर, जलकर आदि सहित विभिन्न करों की एक बड़ी बकाया राशि बकायादारों से प्राप्त की जानी है, इस हेतु निगम द्वारा बकायादारों को बार–बार नोटिस व वारंट आदि जारी कर बकाया राशि का भुगतान

निगम कोष में किए जाने हेतु कहा जा रहा है, किन्तु बकायादारों द्वारा राशि जमा करने में रूचि नहीं दिखाई जा रही है, जिसके कारण एक ओर जहॉ निगम को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है, वहीं नगर के विकास व नागरिक सुविधाओं की बेहतरी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित हैं। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के कडे निर्देश पर नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा अब इन बकायादारों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज कोरबा जोनांतर्गत श्री बी.पी.मोदी बकाया राशि 01 लाख 81 हजार 56 रूपये, अनूपचंद अग्रवाल 02 लाख 32 हजार 653 रूपये तथा शंकरशरद अग्रवाल बकाया राशि 91 हजार 602 रूपये की सम्पत्ति को निगम के द्वारा सील कर दिया गया था, जिस पर बी.पी.मोदी ने तत्काल बकाया कर की सम्पूर्ण राशि जमा करा दी, इसी प्रकार अनूपचंद अग्रवाल ने 01 लाख 50 हजार रूपये निगम कोष में जमा कराये तथा शेष बकाया राशि 31 मार्च तक जमा कराने का पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर उक्त दोनों करदाताओं की सम्पत्ति को सीलिंग मुक्त कर दिया गया है, जबकि बकायादार शंकरशरद अग्रवाल के द्वारा बकाया राशि जमा न किये जाने पर उनकी सम्पत्ति अभी भी सील है। बकायादारों पर कार्यवाही के दौरान जोन कमिश्नर नीरज कौशिक, राजस्व अधिकारी अनिरूद्ध सिंह, उप जोन प्रभारी अजय कुमार अग्रवाल, उप अभियंता विनोद गोंड़, परमानंद राठौर, उत्तम राठौर, राजेश साहू, तेजराम सोनी के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

सी.एण्ड डी.वेस्ट पर 01 हजार रू. का अर्थदण्ड – नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सड़क व सार्वजनिक स्थल पर सी.एण्ड डी.वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री आदि डम्प करने वालों के विरूद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है, आज इसी कड़ी में कोरबा जोन के जोन कमिश्नर नीरज कौशिक की अगुवाई में वार्ड भ्रमण कर रही निगम की अधिकारियों की टीम ने वार्ड क्र. 07 में सड़क व सार्वजनिक स्थल पर सी.एण्ड डी.वेस्ट डम्प किये जाने पर कार्यवाही करते हुये 01 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा उक्त सी.एण्ड डी.वेस्ट का उचित निपटान व प्रबंधन तत्काल किये जाने के निर्देश दिये।

तत्काल जमा करें, बकाया करों की राशि – आयुक्त श्री आशुतोष पांडेय ने निगम समस्त बकायादारों, करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे निगम को देय करों की बकाया राशि तत्काल निगम में जमा कराए तथा एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे। उन्होंने कहा है कि समय पर कर राशि जमा न कराने पर एक ओर जहाँ निगम को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है तो वही दूसरी ओर नगर के विकास कार्य व नागरिक सुविधाएं प्रभावित होती है, साथ ही नियमित रूप से कर जमा न करने पर करदाताओं पर बकाया राशि बढ़ती जाती है, जिसे एक न एक दिन जमा कराना ही पड़ता है, अतः आवश्यक है कि करों का नियमित भुगतान किया जाय। आयुक्त श्री पाण्डेय ने कहा है कि निगम द्वारा बकायादारों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, अतः कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचने हेतु तत्काल बकाया राशि निगम में जमा कर दें। आयुक्त श्री पाण्डेय ने भवन निर्माताओं से भी कहा है कि वे सी.एण्ड डी.वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री सड़क व सार्वजनिक स्थल पर डम्प न करें, इससे आवागमन में आमनागरिकों को असुविधा होती है, दुर्घटनायें घटित होती है व निगम की सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है, निगम द्वारा इस पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, अतः सी.एण्ड डी.वेस्ट का उचित प्रबंधन करें, कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें।